जैसे ही आप सोलर पंपिंग सिस्टम का प्रकार चुनेंगे, उसके नीचे दी गयी टेबल में कृषक अंश की राशि आ जावेगी।

अब सुरक्षित करें पर क्लिक करके आवेदन के अंतिम चरण में जा सकते हैं।

(ल) जानकारी एक नजर में – अब अंत में पोर्टल सभी भरी गयी जानकारी को प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर जाँच कर लेवें। आवश्यक होने पर किसी भी चरण पर जाकर जानकारी को बदला जा सकता है।

सबसे अंत में आवेदक को योजना की दी गयी शर्तें तथा दी गयी जानकारी की सत्यता संबंधी स्वघोषणा दिए गए चेक बाक्स पर क्लिक कर करनी होगी।

यहाँ से जानकारी को प्रिंट कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।

आवेदन को सुरक्षित करने पर पोर्टल आवेदन क्रमांक आवंटित कर SMS के माध्यम से सूचित करेगा तथा आपको ऑनलाइन पेमेण्ट हेतु आगे बढ़ायेगा।

पंजीकरण शुल्क – यहाँ पर Pay Now बटन पर क्लिक कर ऑनलाइन पेमेंट हेतु आगे बढ़ा जा सकता है। पेमेण्ट गेटवे MPOnline के पेमेण्ट गेटवे के माध्यम से संपन्न होगी। यहाँ पर एमपी ऑनलाइन के पेमेण्ट गेटवे के चार्जेस जुड़कर भुगतान किया जाना होगा।

यदि कृषक स्वयं अपने कम्प्यूटर से ऑनलाइन भुगतान करना चाहता है तो Citizen आप्शन के माध्यम से आगे बढ़ना होगा जिससे ऑनलाइन भुगतान के सभी विकल्प जो दिये होंगे उनमें से चयनित करना होगा।

पेमेण्ट हो जाने पर आवेदक को आवेदन क्रमांक प्राप्त हो जावेगा तथा SMS के माध्यम से भी सूचना प्राप्त हो जावेगी।

योजना के विवरण हेतु सम्पर्क करें
आपके जिले के : जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी, म.प्र. ऊर्जा विकास निगम
www.cmsolarpump.mp.gov.in या mponline कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

अधिक जानकारी हेतु मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम के जिला कार्यालय या मुख्यालय, भोपाल में सम्पर्क कर सकते हैं।

मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, लिंक रोड नं. 2, 5 नं. स्टॉप, भोपाल–462016

मध्यप्रदेश शासन

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

हरदीप सिंह डंग, मंत्री
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा

मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के आवेदन हेतु यूजर मेन्युअल

प्रदेश में पहली बार 2 लाख किसानों को सिंचाई हेतु मिलेंगे सोलर पम्प

सोलर पम्प स्थापना हेतु पोर्टल www.cmsolarpump.mp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, जिसमें भारत शासन व मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। कृषक द्वारा स्वप्रमाणीकरण किया जाएगा कि उसके खसरे/बटांकित खसरे की भूमि पर विद्युत पम्प संचालित/संयोजित नहीं है। यदि सम्बन्धित कृषक विद्युत पम्प का कनेक्शन विच्छेद करवा लेता है अथवा उस पर प्राप्त अनुदान छोड़ देता है, तब उसे सोलर पम्प स्थापना पर अनुदान दिया जा सकता है। इस योजनांतर्गत कृषक को सोलर पम्प का लाभ इस शर्त पर दिया जाएगा कि कृषक की कृषि भूमि के उस खसरे/बटांकित खसरे पर भविष्य में विद्युत पम्प लगाये जाने पर उसको विद्युत प्रदाय पर कोई अनुदान देय नहीं होगा।

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के आवेदन हेतु यूजर मेन्युअल

नवीन आवेदन कैसे करें?

1. नवीन आवेदन के लिए पोर्टल cmsolarpump.mp.gov.in को ओपन करें।
2. यहाँ नवीन आवेदन करें पर क्लिक करें प्रक्रिया प्रारंभ करें।
3. यहाँ पर कृषक का मोबाइल नंबर जिससे पंजीकरण करना हो, दर्ज करें। एप्लीकेशन मोबाइल पर OTP भेजकर सही नंबर की जाँच करेगा। OTP सत्यापन के उपरांत कृषक की सामान्य जानकारी दर्ज की जानी होगी।
4. सामान्य जानकारी स्क्रीन प्राप्त होगी।
5. यहाँ पर कृषक का आधार ई–केवायसी, बैंक अकाउण्ट संबंधी जानकारी, जाति स्वघोषणा, जमीन से संबंधित खसरे की जानकारी एवं चाहे गए सोलर पंप की जानकारी दर्ज की जानी होगी। जिसके प्रत्येक चरण नीचे दिये गए हैं–

(अ) आधार eKYC –किसी भी व्यक्ति की पहचान को स्थापित करने के लिए केवायसी किया जाता है जो कि अंग्रेजी शब्द Know Your Customer का छोटा रूप है। योजना के प्रावधानों के अनुरूप आधार आधारित ई– केवायसी (e- KYC) किया जाना आवश्यक है। आधार आधारित ई–केवायसी करने से व्यक्ति की पहचान संबंधी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्राप्त हो जाती है जिससे आवेदक को किसी भी तरह के अन्य पहचान प्रमाण को जमा करने की जरूरत नहीं होती है। इसे करने के लिए दो आप्शन उपलब्ध कराये गए हैं (i) OTP द्वारा (ii) बायोमेट्रिक द्वारा। जिस व्यक्ति का मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है उसका eKYC बायोमेट्रिक मशीन द्वारा किया जा सकता है।

eKYC होने पर निम्न अनुसार स्क्रीन प्राप्त होगी।

eKYC सफ़लतापूर्वक प्राप्त किये जाने की सूचना प्राप्त होगी।

यदि किसी कारणवश आधार eKYC नहीं हो पाता है तो पोर्टल 3 प्रयासों के बाद स्वघोषणा पर आगे की कार्यवाही जारी रखेगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ऐसे प्रकरणों में दी गयी जानकारी का अलग से सत्यापन कराया जा सकता है एवं किसी तरह की भ्रामक एवं गलत जानकारी देने पर आवेदन खारिज किया जा सकता है।

(ब) बैंक अकाउंट की जानकारी– आवेदक की बैंक संबंधी जानकारी रखने का उद्देश्य यह है कि यदि प्रकरण योजना अंतर्गत स्वीकृत नहीं होता है या कृषक भविष्य में योजना अंतर्गत लाभ नहीं लेना चाहता है तब पंजीकरण शुल्क/जमा किए गए कृषक अंश को दिए गए बैंक अकाउण्ट में वापिस जमा कराया जा सके।

(स) समग्र की जानकारी (वैकल्पिक)– आवेदक की डेमाग्राफिक जानकारी के लिए आवश्यक है कि उसका समग्र आईडी के माध्यम से सत्यापन किया जावे। यहाँ पर आवेदक को अपना समग्र आईडी तथा परिवार आईडी की जानकारी दर्ज करना होगा।

(द) जातिवर्ग की जानकारी– आवेदक को अपनी जातिवर्ग (सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) संबंधी स्व प्रमाणित घोषणा की जानी अनिवार्य है।

(य) खसरा मैपिंग की जानकारी – योजना प्रावधान अंतर्गत राज्य में कृषि भूमि पर ही योजना का लाभ ले सकते हैं। धारित कृषि भूमि के सत्यापन के लिए आवेदक के आधार नंबर से लिंक खसरे जो कि यहाँ दी गयी सारणी में आ रहे हैं, में से किस खसरे में सोलर पंप लगाया जाना प्रस्तावित है, को चुनना होगा। यदि भू–अभिलेख से खसरे प्राप्त नहीं होते हैं तो आवेदक अन्य खसरे चुन सकता है एवं आगे की कार्यवाही जारी रख सकता है। चुने गए अन्य खसरे का सत्यापन अलग से किया जा सकता है।

i. **आधार से जुड़े खसरे प्राप्त करना–** यदि कृषक के खसरे की जानकारी आधार से जुड़ी हुई है तो सिस्टम स्वत: ही खसरों की सूची ले आवेगा। यहां उल्लेखनीय है कि आधार से जुड़े खसरे लाने के लिए संबंधित कृषक का eKYC होना आवश्यक है।

   उक्त स्क्रीन अनुसार जिस भी खसरे को लिंक करना है उसे चुनकर आधार से जुड़े खसरे लिंक करने के लिए क्लिक करें बटन पर क्लिक करने से खसरे आवेदन के लिए सूचीबद्ध हो जावेंगे।

ii. यदि संबंधित कृषक के खसरे आधार से संलग्न नहीं हैं तो अन्य खसरे निर्देशानुसार लिंक करें।

(र) सोलर पंप जानकारी– अंत में चाहे गए सोलर पंप की जानकारी दिए गए फार्म अनुसार दर्ज की जानी होगी। यहां उल्लेखनीय है कि खसरा नंबर फील्ड में केवल वही खसरे नंबर आवेंगे जो कि पूर्व चरण में जोड़े गए हैं।